भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
वित्तीय सेवाएं विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1196
जिसका उत्तर मंगलवार, 10 फरवरी, 2026/21 माघ, 1947 (शक) को दिया गया

सहकारी बैंकों को प्रभावित करने वाला विनियामक विकासक्रम

1196. श्री एस. कल्याणसुन्दरम:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने आरबीआई के प्राथमिकता क्षेत्र संबंधी संशोधित ऋण मानदंड सहित सहकारी बैंकों को प्रभावित करने वाले हालिया विनियामक विकासक्रमों की समीक्षा की है, जिनमें अब सहकारी समितियों को ऋण प्रवाह बढ़ाने के लिए एनसीडीसी शामिल है;

(ख) सहकारी बैंकों की वित्तीय स्थिति, शासन, डिजिटल समावेशन जैसे सरलीकृत आधार प्रमाणीकरण प्रणाली और ग्रामीण ऋण पहुंच को मजबूत करने के लिए केंद्रीय और विनियामक सहायता उपायों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) जमाकर्ताओं की सुरक्षा और सहकारी बैंकों के माध्यम से वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए जमा सुरक्षा, ऋण उपलब्धता और विवेकपूर्ण विनियमन को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क): राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी), जो सहकारिता मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन एक सांविधिक निगम है, सहकारी समितियों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है और सहकारी आंदोलन के विकास में तेजी लाने में प्रत्यक्ष योगदान देता है। भारत सरकार के परामर्श से, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने घोषणा की है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, शहरी सहकारी बैंकों, लघु वित्त बैंकों और स्थानीय क्षेत्र के बैंकों के अलावा अन्य बैंकों द्वारा एनसीडीसी को 19 जनवरी, 2026 से स्वीकृत ऋण, जो सहकारी समितियों को प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार संबंधी मास्टर दिशा-निर्देश, 2025 में निर्धारित उद्देश्यों और गतिविधियों के लिए आगे उधार देने हेतु स्वीकृत किए गए हैं, संबंधित श्रेणियों के अंतर्गत प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार के रूप में वर्गीकृत होने के पात्र हैं।

(ख) और (ग): भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक ने जमा सुरक्षा, ऋण उपलब्धता और विवेकपूर्ण विनियमन को बढ़ाने के साथ-साथ सहकारी बैंकों की वित्तीय स्थिति, अभिशासन और डिजिटल समावेशन को सुदृढ़ करने के लिए विभिन्न उपाय किए हैं, जिनमें *अन्य बातों के साथ-साथ* निम्नलिखित शामिल हैं -

- शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) को नई शाखाएं खोलने की अनुमति दी गई है|
- शहरी सहकारी बैंकों के लिए आवास ऋण सीमा को उनके कुल ऋण और अग्रिमों के 10% से बढ़ाकर 25% कर दिया गया है|
- सहकारी बैंकों के निदेशकों का कार्यकाल 8 से बढ़ाकर 10 वर्ष करने के लिए बैंककारी विनियमन अधिनियम में संशोधन किया गया है|
- सहकारी बैंकों को आधार सक्षम भुगतान प्रणाली (एईपीएस) में शामिल करने के लिए लाइसेंस शुल्क कम कर दिया गया है|
- राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम लिमिटेड (एनयूसीएफडीसी), जो एक गैर-जमा लेने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) है, को सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अवसंरचना और परिचालन सहायता प्रदान करने के लिए शहरी सहकारी बैंकों के लिए एक अम्ब्रेला संगठन के रूप में स्थापित किया गया है|
- ग्रामीण सहकारी बैंकों को तकनीकी सेवाएं प्रदान करने के लिए एक साझा सेवा इकाई (एसएसई), सहकार सारथी की स्थापना की गई है|

- भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ग्रामीण सहकारी बैंकों को एकीकृत लोकपाल योजना में शामिल किया गया है।

- निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) सभी सहकारी बैंकों के लिए प्रति बैंक प्रति जमाकर्ता 5,00,000 रुपये (मूलधन और ब्याज सहित) तक की विभिन्न प्रकार की जमाराशियों का बीमा करता है।

*****